

०

१०
१०/२०
३१३

[प्रारूप 2 क.]

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र

09-अररिअ

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 वा भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

भाग - I

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हारा खड़ा किए गये अमर्थी द्वारा प्रसुल्त किया जाना है।

मेरा नाम.....

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अमर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अमर्थी का नाम प्रदीप कुमार सिंह पिता/प्रता/पुत्र का नाम सूरजमल सिंह

इनका डाक पता ओमनगर लाई न०-०४, पौठ+धाना+जिला-अररिअ

इनका नाम 09-अररिअ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाप्ति ५९-अररिअ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की
निर्वाचक नामबदली के भाग संख्या १२८ में छाग

संख्या ०३ (खंडीधित सूची) पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम सूरजमल कुमार भित्ति है जो ०९-अररिअ संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र में समाप्ति ५९-अररिअ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की

निर्वाचक नामबदली के भाग १३० में छाग संख्या २७६ पर प्रविष्ट है।

दिनांक: 31/03/2014

सूरजमल कुमार भित्ति

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

भाग - II

(गान्धी ग्राम प्राप्त राजनीतिक दल हारा नहीं लड़ा किए गये अध्यर्थी हारा प्रयुक्ति किया जाने के लिए)

हम एतद हारा सारांशीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अध्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

अध्यर्थी का नाम पिता/भाता/पति का नाम

..... उसका डाक पता

उसका नाम सारांशीय निर्वाचन क्षेत्र

(मेरे समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग से मेरे क्रम

संख्या पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त सारांशीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम हमके सारांशीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उपलिखित है और हम इस नाम निर्देशन की सहनिति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्रम संख्या	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	सारीख
	/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग संख्या में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

ग्रन्थ III - दृढ़

(अम्बरी हारा भरा जायगा)

दृष्टि अवधर्ता –

- (i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) में आ (ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या } / नहीं

(ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दण्डित किया गया है। यदि उत्तर "हौं" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होगी।

(i) पानला / प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. X

(ii) पुलिस रेकर्ड जिला (ज़िले) X राज्य X

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था X

(iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीख). X

(v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था X

(vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालाबंध इंगित करें तथा / या जुर्माने की राशि उपर्युक्त

(vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) X

(viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी / थीं

(ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विचरण तथा तारीख

(x) न्यायालय का नाम जिसके सम्बन्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया X

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाएँ) का निपटारा कर लिया गया है या ये/वह अभी लंबित हैं X

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) X

(ख) पारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (पीड़ित प्रावृत्ति) X

दिनांक 31/03/2014
स्थान बृहत्पुरा

46748417 162

अभ्यर्थी के हरकाश्चर

$\mathcal{H}[x] = \mathbb{R}$

में भाग । / भाग ॥ (जो लागू न हो जसे काट दे) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुमति देता है तथा एतद् द्वाया यह घोषणा करता है कि -

(क) मैंने ४४ (अड्डापिछु) वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

निम्नलिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दे।

(क) (i) कि मैं इस निर्वाचन में **भारतीयजनता पर्टी** दल हारा खड़ा किया गया हूँ जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुद्रे आवंटित किया जाय।

४३

(ii) कि मैं, इस निर्वाचन में X दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अवधारी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) तथा मैंने अधिनायक छाम में

(i) (ii) (iii)

प्रतीक चूना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा ऐसे पिता/माता/पति के नाम की उपर अकित वर्तनी **देवनागरी(हिन्दी)** में (भाषा का नाम) सही है।

(d) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विद्यास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए छुने जाने हेतु अहिंत हूँ और निरहित

भी नहीं है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो राज्य के उस

“ उस राज्य में को (केत्र) से संबंधित अनुसूचित

मैं राह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले” रामान्य निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के

469 gmlbit

अमरावती के भूत्तान्धार

* जमू तथा कबीर, अंडमान तथा निकोयार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हड्डेली, दगन और दीय राथा लक्ष्मीप की दधि में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए।

* * यदि लाय त हो तो इस पैशाचाक को काढ दीजिए

* * * यहि लाय त छो तो जन धर्म) को लाइ दीजिए

/ जमू तथा कम्बीर, अंडमान और निकोबार ह्रीप, चण्डीचढ़, दादर और नगर हवेली, दगन और दीव तथा लक्ष्य ह्रीप के मामले में लाग नहीं होगा।

टिप्पणी : गान्धीता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा गान्धीता प्राप्त राजनीतिक दल।

भाग — IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या ५१ (One) यह नाम निर्देशन पत्र गुड़ो मेरे कार्यालय में
३१.०३.२०१४(तारीख) को २.४० P.M. बजे को अध्यर्थी / प्रदाता द्वारा दिया गया।

दिनांक ३१.०३.२०१४
जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

१३/१३
रिटर्निंग ऑफिसर
सहायक निर्वाची पदाधिकारी
०९-अररिया संसदीय क्षेत्र

भाग — V

नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिष्ठ्य
मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को जाँच लिया है
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिष्ठ्य करता हूँ :—

दिनांक
(छिदण)

रिटर्निंग ऑफिसर

प्र॒र॒प—26



09 (नौ) अररिया संसदीय क्षेत्र

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के लिए ~~निर्वाचन~~ के लिए
रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग— क

मैं प्रदीप कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी स्वरूप राम लाल सिंह, आयु. 48 वर्ष, जो ओमनगर, वार्ड नं. 08, पो.0+था.0+जिला – अररिया पिन नं. 854311 (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/कथ्यती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ कथ्यती हूँ –

(1) मैं भारतीय जनता पार्टी (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अध्यर्थी / एक स्वतंत्र अध्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(जो लाग न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम. 49 अररिया विधान सभा राज्य, बिहार में (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 128 के क्रम सं० 3 सशीधन सची पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलिफोन नं. 09013180185 है / हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) _____

अन्य है एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है अन्य



Under Amalgamation

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्योरे और आय- कर विवरणी फाइल करने के प्रस्तुति

क्र०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं	BDXPS5639A	2013-2014	611150.00
2.	पति या पत्नी	नहीं	नहीं	नहीं
3.	आश्रित-1	नहीं	नहीं	नहीं
4.	आश्रित-2	नहीं	नहीं	नहीं
5.	आश्रित-3	नहीं	नहीं	नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त ब्रह्मी हूँ जिसमें सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी:-

(I) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला/ राज्य के पूर्ण ब्योरे	1. अररिया थाना काण्ड सं 52/99 थाना अररिया जिला अररिया (बिहार) 2. अररिया थाना काण्ड संख्या-404/01 थाना अररिया जिला अररिया (बिहार)
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	1. 47,148,149,341,323,353, भा०द०वि० नाजायज मजमा बना कर सामान्य उद्देश्य से घातक हथयोरों से लैस होकर वादी को घेर कर मार-पीट करना एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाना, 2. 341,342,506,353,504, / 34 भा०द०वि० अन्य अभियुक्तों के साथ एक मत होकर वादी को घेर कर गाली गलोज करना भयभीत करना एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाना
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	1. मुख्य न्यायाधिकारी, अररिया अररिया थाना काण्ड संख्या 52/99 जी०आर० 216/99 संज्ञान तिथि 09.08.1999 2. मुख्य न्यायाधिकारी अररिया थाना काण्ड संख्या 404/2001 जी० आर० नं०



५१८३७१८६

मह

		1646 / 2001 संज्ञान तिथि 21.01. 2002
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	1. श्री संजय कुमार संजय, न्या०द०अररिया 2. श्री रामेश्वर मिश्रा,न्या०द०अररिया
(ङ)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	1. तारीख – 09.01.2013 2. तारीख – 23.12.2010
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

५६७ फूलगढ़




end

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया {गया है पूर्वावत

मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न }:-

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं राहित सांबंधित पुलिस थाना/ जिला/ राज्य के पूर्ण ब्यारे	1. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अररिया जोकीहाट थाना, काण्ड संख्या 11 / 2004 संज्ञान तिथि – 22.02.2010 2. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अररिया, कुर्साकांटा थाना, काण्ड संख्या 38 / 2001 संज्ञान तिथि – 13.09.2011
(ख)	उन मामलों के ब्यारे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का रांकिंग विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	1. जी0आर0 नं0- 215 / 2004(जोकीहाट थाना काण्ड संख्या 11 / 2004) धारा – 147, 148, 341, 323, 504, भा0द0वि0 नाजायज मजमा बनाकर घातक हथीयार से लैसा होकर वादी को घेर कर गाली-गलोज एवं मार-पीट करना 2 जी0आर0 नं0- 879 / 2001(कुर्साकांटा थाना काण्ड संख्या 38 / 2001) धारा – 147, 148, 149, 323, 307, 427, 353, 188, 337, 338, भा0द0वि0 27 आम्स एकट एवं 3 सम्पत्ति विरुपन अधिनियम नाजायज मजमा बनाकर अग्नेयास्त्र एवं घातक हथियार से लैसा होकर समान उद्देश्य से निषेधाज्ञा का उलंघन कर सरकारी कार्यालय में तोड़-फोड़ कर सम्पत्ति विरुपित व क्षतिग्रस्त करना तथा हत्या के उद्देश्य मार-पीट करना एवं सरकारी कार्य में बाधा डालना
(ग)	पूर्वांकत आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के	नहीं



५६१५ दृष्टि १६८

मुक्त

लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	नहीं
---	------

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया मर्याहै/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावस का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।—

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहरा गया है और न्यायालय द्वारा कारावस का दंडादेश दिया गया है।

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ), और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धादोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे वर्तमान प्रस्तिति।	नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि)के ब्यौरे नीचे देता हूँ अः जंगम आस्तियों के ब्यौरे—

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— जगा / विनिधान की दशा में क्रम सं, रकम, जगा की तारीख, रकीम, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जना चाहिए।




टिप्पण 4— यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5— रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

५६८ द्वारा ५६८

—

क्र०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	एक लाख	पाँच हजार	X शुल्क	X शुल्क	X शुल्क
(ii)	बैंक खातों में जमा और (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	एस0बी0आई0 ए0डी0बी0अररिया खाता संख्या – 01190007218 रकम— 750.00 एस0बी0आई0 बी0भी0एम0 पटना खाता संख्या – 10839464397 रकम— 1583.00 एस0बी0आई0 नई दिल्ली साउथ एमेन्यू खाता संख्या – 30831995702 रकम—एक लाख रुपारह हजार बी0ओ0आई0 अररिया खाता संख्या – 584810110006697 रकम—एक हजार	पी0एन0बी0 शाखापटना खाता संख्या 2968000101007497 रकम 4146.00	X	X	X
(iii)	कम्पनियों/ पारस्परिक निधियों और बच्चे में बंधपत्रों, डिवेचरों/ शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के बलौरे और रकम	X शुल्क	X शुल्क	X	X	X
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा बोलिसियों में विनिधान ले बारे और	बीमा पालिसी, भारतीय जीवन बीमा निगम पो0 स0— 525315120 बिभित राशि 10 लाख	बीमा पालिसी, भारतीय जीवन बीमा निगम पो0 स0— 526529314 बिभित राशि 5 लाख	शुल्क	शुल्क	शुल्क



५६५ ट्रॉफी

संग्रह

	डाक घर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम			झूँभ	झूँभ	झूँभ
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें कर्म कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और ऋणियों से अन्य पाप्य तथा रकम	X झूँभ	X झूँभ	X झूँभ	X झूँभ	X झूँभ
(vi)	मोटरयान / वायथान / याट / पोत (मेक, रजिस्ट्रीलरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मोटर साईकिल बुलेट एक रजिस्ट्रेशन नं- बी0आर0-38/3448 वर्ष 1996 रकम 25 हजार सफारी डेकोर गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं- बी0आर01ए0पी0/ 3518 वर्ष 2006 रकम 10 लाख	X झूँभ	X झूँभ	X झूँभ	X झूँभ
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भारतीय के व्यापार)	सोना 5 ग्राम रकम 18 हजार	सोना 30 ग्राम रकम एक लाख	X झूँभ	X झूँभ	X झूँभ
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि लातों/हित के मूल्य सम्प्रे कुल	X झूँभ	X झूँभ	X झूँभ	X झूँभ	X झूँभ



2257333 रु0मात्र 609146 रु0 मात्र X झूँभ X झूँभ X झूँभ

20/01/2016

←

मूल्य				
-------	--	--	--	--

आ. स्थवर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षक संयोक्त (संख्याएँ)	मौजा— सौरगाँव खाता— 328,231,329	X भूमि	X भूमि	X भूमि	X भूमि
	क्षेत्र (एकड़ में कुल पाम)	0.28डी०	X भूमि	X भूमि	X भूमि	X भूमि
	क्या विरसत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ पैतृक	X भूमि	X भूमि	X भूमि	X भूमि
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की दशा में)	X	X भूमि	X भूमि	X भूमि	X भूमि
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा)	X	X भूमि	X भूमि	X भूमि	X भूमि
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	X	X भूमि	X भूमि	X भूमि	X भूमि
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25 हजार	X भूमि	X भूमि	X भूमि	X भूमि
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संयोक्त (संख्याएँ)	मौजा बसन्तपुर खाता—2438	X भूमि	X भूमि	X भूमि	X भूमि
	क्षेत्र (एकड़ में कुल पाम)	रकबा 0.4डी० 1800वर्गफुट अनुमानित	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्या विरसत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	28.04.1998	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्रय के समय भूमि की लागत क्रय की दशा में	12000	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	चार लाख	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	सार्वेक्षणिक भवन (अपार्टमेंट सहित अवस्थिति (अवस्थितियाँ)) सर्वेक्षण	X भूमि	X भूमि	X भूमि	X भूमि	X भूमि



५६७ फूली ८६-

सौ

	संघर्षांक (सांख्याएँ)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्थानिक संपत्ति की दशा में क्रय की दशा में	नहीं	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित): स्थावरिथिति (अवरिथितिया) संघर्षांक (सांख्याएँ)	गौजा बसन्तपुर खाता—2438 आवासीय पैतृक भवन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	0.1½ डी० 675 वर्ग फुट अनुमानित	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	निर्मित (वर्ग फुट में कुल माप)	01डी०.450 वर्ग फुट अनुमानित	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	क्या विरसत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्थानिक संपत्ति की दशा में क्रय की दशा में)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	पैतृक भवन	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	10 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जोसे कि संपत्ति में हित)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	14लाख 25 हजार	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ को शोध्यों के बौरे नीचे देता हूँ-

(लेखण: कृपया बैंक, संरथा, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के बोगी का पृथक विवरण दें)



विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3

465 ३०१/१६८

→

(i)	वैक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य वैक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	एस0बी0आई0 ज्ञाखा गुलजारबाग पटना से वाहन ऋण 802182.00 दिनांक 25. 03.14 तक	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	कोई अन्य दायित्व	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	दायित्वों का कुल योग	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरने वाले विभागों को शोध्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	विधुत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	टेलीफोन/ मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	आय-कर शोध्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	धनकर शोध्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	सेयाकर शोध्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	नगरपालिका/ संपत्ति कर शोध्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	क्रेयकर शोध्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	कोई अन्य शोध्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्धान रकम और उस प्रधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य

~~(प्र)~~ वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :


(५) रखयं-कास्तकारी एवं राजनीति
(६) प्रतिया पल्नी-गहणी



(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है—

गेंद्रिक — बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, उर्तीण वर्ष 1982 विद्यालय
रामनन्दन उच्च विद्यालय रमैई, (अररिया)

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम
विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का
नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



५६८४३११६८

संदेश

भाग-ख

(11) भाग- क के (1) से (10) तक में लिए गये व्यौरे का उदाहरण

1	अभ्यर्थी का नाम	प्रदीप कुमार सिंह			
2	डाक का पता	ओम नगर, वार्ड नं०-०८, अररिया, पो०+थाना+जिला – अररिया (बिहार) पिन नं० – ८५४३११			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	०९, अररिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्य बिहार			
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	भारतीय जनता पार्टी			
5	(I) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	०२ (दो)			
	(II) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है(उपर मद (I) में उल्लेखित मामलों से भिन्न)	०२ (दो)			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें शिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष काया उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र १९५१ की धारा ८ की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	नहीं			
7		भारत सरकार का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	BDXPS5639A	2013-14	611150.00	
	(ख) पति या पत्नी	X	X	X	
	(क) आश्रित	X	X	X	
8	आस्तियों और दायित्वों के व्यौरे (रुपये में)				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रिति-१	आश्रिति-३
	पात्र आस्तियां (कुल)	2257333.00	609146	X	X
	(4968J)				



प्रदीप कुमार सिंह

खाली

ख	स्थवर आस्तियां	1425000.00	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
I.	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	12 हजार	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
II	क्रय के पश्चात स्थवर संपति की विकास/ संनिर्गाण लगागत (यदित लागु हो)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कूल मूल्य) (ख) विरसती आस्तिया (कूल मूल्य)	4 लाख 1025000.00 रु०	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
9	दायित्व					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	802182.00 रु०	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य	X शून्य

11

उच्चतम शैक्षिक अहर्ता: मैट्रिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, उर्तीण वर्ष 1982 विद्यालय रामनन्दन उच्च विद्यालय रमैई, (अररिया)

प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाद्यक्रम के पूर्ण प्रस्तुप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाद्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।

५६१५ फाँट





Notary Araria

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्पर्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की गद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आक्रितों के पास उपर भाग क की गद 7 और 8 तथा भाग ख की गद 8,9 और 10 में उल्लिखित आरित या दायित्व से भिन्न कोई आरित या दायित्व नहीं है।

Pradeep Kumar Singh
श्रीमति आज सारीख 31/03/2014 को सत्यापित किया गया।
who is identified by _____
Advocate solemnly affirmed
and declare before me.
R.K.V. 31/03/14

Sandeep Kumar Singh
संदीप कुमार सिंह
31/03/14

4619311/616

अभिसाक्षी

Ranjan Kumar Verma

NOTIFICATION: 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।


ARARIA (BIHAR)

टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4. शपथपत्र टंकित या सुपार्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के नामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जौ उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।



टिप्पणी: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ हैं/हैं..... 09013180185.....

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है..... X 21-21



पत्र मराजाशाल भीडिया एकांउट्टस (अगर कोई हो) है..... X 21-21

469 ५८१७१६८

RKV 31/10/2014
RANJAN KR. VERMA
NOTARY
ARARIA BIHAR (INDIA)